पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY

SIL – 02/2015

कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
हाजीपुर

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated: 20.02.15

मुख्य चिकित्सा निदेशक,
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय :– रेलवे अस्पताल के अंतरंग रोगियों को प्रदान किए जाने वाले भोजन दर के निर्धारण व आवधिक पुनरीक्षण एवं संबंधित कर्मचारी को प्रदत्त भोजन प्रभार राशि की कटौती।

रेलवे अस्पताल द्वारा अंतरंग रोगियों को प्रदान किए जाने वाले भोजन के दर निर्धारण एवं तीन वर्ष पर उस दर का आवधिक पुनरीक्षण व संबंधित कर्मचारी से प्रदत्त भोजन प्रभार की कटौती के विन्दु पर रेलवे अस्पताल समस्तीपुर, धनबाद एवं मुगलसराय में की गई सतर्कता जाँच में मुख्यतः निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आई :–

(i) अंतरंग रोगियों को रेल अस्पताल द्वारा प्रदत्त भोजन के प्रभार का निर्धारण एवं पुनरीक्षण रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए लगातार निर्देशों एवं IRMM 2000 Para 642 में वर्णित प्रावधान के विपरीत काफी विलंब से दिनांकः 03.02.14 को किया गया। इसके पहले भोजन का प्रभार निर्धारण वर्ष 2002 में किया गया था।

(ii) मुख्यालय स्तर से पुनरीक्षित भोजन प्रभार के निर्धारण के बाद भी समस्तीपुर अस्पताल द्वारा कुछ मामलों में पुराने दर से कटौती किए जाने का आदेश दिया गया।

(iii) संबंधित कर्मचारी के मद से प्रदत्त भोजन प्रभार की राशि की कटौती कर लिए जाने का कोई आंकड़ा/प्रमाण संबंधित स्वास्थ इकाई के पास उपलब्ध नहीं पाया गया।

(vi) कुछ इकाई यथा इन्जीनियरिंग,दूर संचार, टेलकम एवं डीजल शेड, इत्यादि में बिल उन्हीं इकाईयों द्वारा बनाई जाती है। ऐसे मामलों में भी भोजन प्रभार की कटौती हेतु पत्र कार्मिक विभाग को प्रेषित हैं जबकि कटौती विवरण संबंधित इकाई या मंडल/रेल को प्रेषित किया जाना चाहिए था।

(vii) संबंधित कार्मिक विभाग के पास भी भोजन प्रभार की कटौती का कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं पाया गया ।

उपरोक्त अनियमितताओं के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अंतरंग रोगियों को प्रदान किए जाने वाले भोजन प्रभार का निर्धारण व पुनरीक्षण एवं संबंधित कर्मचारी से उसकी कटौती की प्रक्रिया में शामिल कार्यालयी द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है। इसे प्रणाली विफलता के रुप में देखा जा सकता है। अतः उपरोक्त अनियमितता को दूर करने के लिए निम्न ठोस प्रणाली विकसित किया जाना आवश्यक है :–

(क) IRMM 2000 के Para 642 के तहत प्रत्येक तीन वर्षों के अंतराल पर भोजन प्रभार के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को सरल करने की आवश्यकता है। इस विन्दु पर अलग–अलग अस्पतालों की भोजन प्रभार पुनरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने के स्थान पर मुख्यालय स्तर पर हीं एक स्थाई समीक्षा समिति का

गठन किया जाय जो प्रत्येक तीन वर्षों पर स्वतः निर्धारित तिथि के पूर्व अपनी समीक्षा रिपोर्ट समर्पित करे जिसके आधार पर संशोधित भोजन प्रभार की कटौती संबंधित रेलकर्मी से की जा सके।

(ख) भोजन प्रभार के संबंधित कर्मचारी से कटौती की प्रक्रिया में एकरुपता एवं सरलता लाए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान प्रक्रिया के तहत कार्मिक विभाग एवं संबंधित इकाई के बिल अनुभाग में अस्पताल द्वारा कटौती विवरण प्रेषित करने से कटौती की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है। इसके मुख्य कारण अस्पताल द्वारा संबंधित बिल युनिट को समय से कटौती नहीं सुझाए जाने, सुझाई गई कटौती विवरण में सही तथ्य उपलब्ध नहीं कराए जाने तथा इसके अभाव में फिर बिल युनिट द्वारा संबंधित अस्पताल के साथ कोई भी पत्राचार नहीं कर मामले को लंबित छोड़ देने, आदि हैं। अतः वर्तमान में मुगलसराय मंडल अस्पताल द्वारा भोजन प्रभार की राशि रेलवे रोकड़ में जमा कराकर पावर्ती स्वरुप रेलवे रसीद प्राप्त करने की प्रक्रिया अन्य अस्पतालों द्वारा भी अपनाई जा सकती है।

(ग) भोजन प्रभार के आवधिक दर का निर्धारण, भोजन प्रभार की वसूली एवं इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इत्यादि से संबंधित सभी विन्दुओं को सम्मिलित करते हुए एक संयुक्त प्रक्रिया आदेश (JPO) निर्गत की जाय। भोजन प्रभार की कटौती की निगरानी HMIS के माध्यम से की जाए तथा संबंधित रेल कर्मी के वेतन से समय पर उसकी पूरी वसूली के लिए इसको PRME/AFRES से संबद्ध कराया जाय।

इस संबंध में कृप्या प्रणाली सुधार का आदेश अपने स्तर से जारी कर इस कार्यालय को सूचित करें। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्र संख्या च/184/1 दिनांक 10.05.12 के अनुसार वर्ष–2002 में भोजन प्रभार का दर निर्धारित किया गया था। इसके बाद जनवरी–2014 में भोजन प्रभार का पुननिर्धारण किया गया। इस समयावधि में भोजन प्रभार की दर को हर तीन वर्षों पर पुनरीक्षित कर समस्त बकाया भोजन प्रभार की कटौती की जाए। जनवरी–2014 में भोजन प्रभार के दर निर्धारण के बाद भी जिन इकाईयों में कटौती पुराने दर से की गई है, वहॉ भी नये दर के अनुसार बकाया राशि की कटौती सुनिशिचित की जाए।

कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायी जाए।

(जे0 के0 वर्मा)
वरिष्ठ उप महाप्रपंधक
कृते महाप्रबन्धक/सतर्कता

Sys(n)